



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्या:- 2025 / 435

दर्ज तिथि:-18.06.2025

### -:निर्णय:-


1. आज यह पत्रावली प्रार्थना-पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के अन्तर्गत बाबत निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृत्तान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 935, 943 मौजा श्रीराम नगर, खसरा संख्या 944, 945, 940/1, 946, 947 मौजा देवनगर, खसरा संख्या 968, 969, 977, 965, 964, 978 मौजा सरस्वती नगर, खसरा संख्या 979, 980, 963, 962, 961, 960, 989, 984, 985, 986, 988, 987, 859, 854, 860, 828, 854/1, 829, 853, 851, 850, 830, 831, 832, 833, 819, 817, 818, 816, 811, 812 मौजा राजेश्वर नगर पटवार मण्डल भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में उक्त रास्ता स्थाई रूप से बारहमासी चलायमान है जिस पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है। परंतु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। अतः मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौके पर चलायमान रास्ते के संबंध में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

मौजा श्रीराम नगर


मौजा देवनगर



मौजा सरस्वती नगर



मौजा राजेश्वर नगर



2. प्रार्थना-पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।
3. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या खसरा संख्या 935, 943 मौजा श्रीराम नगर, खसरा संख्या 944, 945, 940/1, 946, 947 मौजा देवनगर, खसरा संख्या 968, 969, 977, 965, 964, 978 मौजा सरस्वती नगर, खसरा संख्या 979, 980, 963, 962, 961, 960, 989, 984, 985, 986, 988, 987, 859, 854, 860, 828, 854/1, 829, 853, 851, 850, 830, 831, 832, 833, 819, 817, 818, 816, 811, 812 मौजा राजेश्वर नगर पटवार मण्डल भेडाणा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में उक्त रास्ता बारहमासी चालू रास्ता होने पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व 30.09.2021 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग में आ रहा है। परंतु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रस्तावित मार्ग पर कदीमी रास्ता मौके पर चालू है। इस संबंध में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार केवल बारहमासी मौके पर चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं।

4. उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की शक्तियां भू-अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।
5. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त प्रस्तावित कदीमी रास्ते को मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के प्रावधानों के तहत खसरा संख्या खसरा संख्या 935, 943 मौजा श्रीराम नगर, खसरा संख्या 944, 945, 940/1, 946, 947 मौजा देवनगर, खसरा संख्या 968, 969, 977, 965, 964, 978 मौजा सरस्वती नगर, खसरा संख्या 979, 980, 963, 962, 961, 960, 989, 984, 985, 986, 988, 987, 859, 854, 860, 828, 854/1, 829, 853, 851, 850, 830, 831, 832, 833, 819, 817, 818, 816, 811, 812 मौजा राजेश्वर नगर पटवार मण्डल भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में उक्त रास्ता सहकाश्तकारों के मध्य विभाजन होने पर सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में तरमीम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं मौके पर चालू रास्ते के भूमि उपयोग को गै0मु0 रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का उक्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र में वर्णित खसरा संख्या खसरा संख्या 935, 943 मौजा श्रीराम नगर, खसरा संख्या 944, 945, 940/1, 946, 947 मौजा देवनगर, खसरा संख्या 968, 969, 977, 965, 964, 978 मौजा सरस्वती नगर, खसरा संख्या 979, 980, 963, 962, 961, 960, 989, 984, 985, 986, 988, 987, 859, 854, 860, 828, 854/1, 829, 853, 851, 850, 830, 831, 832, 833, 819, 817, 818, 816, 811, 812 मौजा राजेश्वर नगर पटवार मण्डल भेडाणा तहसील गुड़ामालानी को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.07.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुंमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुड़ामालानी—बाड़मेर

